भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3600
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर

3600. श्री एच॰ वसंतकुमारः
डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से देशभर के ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए योजना संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार के कितने वास्तविक अवसर सृजित किए गए हैं;

(घ) क्या अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुरूप रोजगार की दर में वार्षिक वृद्धि नहीं है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): जी, नहीं। तथापि, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

	सृजित रोजगार		
योजनाएं/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	387184	587416	257816 (31.12.19 को)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	233.74	268.00	205.77 (28/01/2020 को)
प्रशिक्षण के बाद रोजागर में नियोजित अभ्यर्थी डीडीयू-जीकेवाई (व्यक्तियों की संख्या)	75787	135666	110862 (दिसम्बर 2019 तक)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रदान किया गया नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	115416	163377	44066 (27.01.2020 को)

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन किया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****